"Folk Artists Honour Award Rules"

Or

"Lok Kala Sadhak Samman Niyam"

North Zone Cultural Centre, Patiala

North Zone Cultural Centre, Patiala

"Folk Artists Honour Award Rules"

Or

"Lok Kala Sadhak Samman Niyam"

1- These rules will be called **"Lok Kala Sadhak Samman Niyam"**in Hindi and **"Folk Artists Honour Award Rules"** in English.

2- This honour / award can be granted to a person or a group dedicatedly working for the folk arts of the member states of North Zone Cultural Centre - Rajasthan, Haryana, Punjab, Uttarakhand, Himachal Pradesh and the Union Territories of Chandigarh, Jammu and Kashmir and Ladakh. Their contribution / work should be based on the folk arts of the member States and Union Territories.In case of an individual he or she should be an Indian citizen and in case of a group, the institution should be registered or incorporated in India.

3- **Number of Honours / Awards** - The total number of awards that will be granted annually to artists or writers dedicatedly working for folk arts would be 2 (two),

3(a) - There will be an award for **folk music**. Under this category Sadhaks (Practitioners), who have dedicated their lives for folk singing or folk instruments playing can be awarded or those who have made a significant contribution in the making of traditional folk instruments. Amazing and unbelievable collections can also be awarded under this category.

4(b) - The other award can be granted to art Sadhaks (Practitioners), who have dedicated their lives in the field of **folk dance**.

4(c) - Both the above mentioned awards can also be granted to a Sadhak (Practitioner),who is not an artist himself but who has devoted his life to the research of or in folk arts.

4(d) - Since this is a Lifetime Achievement Award, hence the profession / job of the Sadhak (Practitioner) should be devoted to folk art. Accidental / Incidental work or any accidental / incidental achievement cannot become a qualification or eligibility for this award.

5- **Award amount** - The amount of each award is Rs.5,00,000/- (Rupees Five lakh only). A cheque of Rs.5,00,000/- (Rupees Five lakh only) along with a silver plaque will be ceremoniously given to the awardee.

5(a) - If more than one persons are selected for an award, then the amount will be distributed equally among all of them.

5(b) - The amount of this award will be out of the funds of Hon'ble Governor of Punjab, the Chairperson of North Zone Cultural Centre, Patiala.

5(c) - The cost of travel and stay (maximum two persons for each award winner) to attend the award ceremony will be borne by the North Zone Cultural Centre.

5(d) - If Income Tax is payable on the award amount, then TDS may be deducted as per the rules.

6- **Age for the award** - The age of the person for the award should be more than 50 years as on the last date of application for the award. Exemption may be granted by the committee in very special matters with recorded reasons.

7- **Active during last ten years** - The award can be granted only to the person who has been prominently active in the preservation and promotion of folk arts during last ten years atleast and has dedicated his life to the folk arts.

8- **Award Committee** - The selection for the award will be done by an Award Committee constituted for this purpose. The Committee will be

constituted by the Chairperson, North Zone Cultural Centre - Hon'ble Governor, Punjab. Three folk art experts of the member states and union territories will be nominated on the committee.

8(a) - The Committee will have five members and its Chairman will be the Secretary / Principal Secretary to the Governor of Punjab and the Member Secretary will be the Director, North Zone Cultural Centre.

8(b) - All decisions will be taken by majority.

9- **Application for Award** - Applications for award will be invited through newspapers and recommendations will be made by the committee after discussion on the applications received.

9(a) - The Committee shall have full power to consider and recommend any name other than the applications received. But it has to record the reasons for this.

9(b) - If the Award Committee does not found any suitable Sadhak (Practitioner) for the award in a particular year, then it is not necessary to grant award for that year.

10- The draft for the advertisement of the application for the award will be prepared by the Member Secretary and sent to the office of the Secretary / Principal Secretary, which will be advertised after approval by the Governor's Secretariat in the States of the North Zone, as well as on the websites of Raj Bhavan and NZCC. It can be shared on all social media platforms so that more and more Sadhaks (Practitioners) can be aware of it.

11- **Final Decision** - The recommendation for the selected names by the Award Committee will be sent in a sealed envelope to the Hon'ble Governor, Punjab and Chairperson, North Zone Cultural Centre, who would have absolute power to accept or reject or send the recommendation back to the Committee for its reconsideration. The decision of the Chairperson will be final and absolute and cannot be challenged through or in any judicial proceedings.

12- **Transparency and Confidentiality** - The entire process of applying for the award will be transparent. The recommendation of the selection Committee will be recorded, but for the honour and respect of the awardee, the selected name/names will be kept confidential by all the parties till its final announcement

''फोक आर्टिस्ट आनर अवार्ड रूल्स''

अथवा

''लोक कला साधक सम्मान नियम''

उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंन्द्र, पटियाला

उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंन्द्र, पटियाला

''फोक आर्टिस्ट आनर अवार्ड रूल्स''

अथवा

''लोक कला साधक सम्मान नियम''

1— यह नियम "लोक कला साधक सम्मान नियम" हिंदी में और **''फोक आर्टिस्ट आनर अवार्ड रूल्स''** अंग्रेज़ी में कहलायेगें।

2— यह सम्मान उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र के सदस्य राज्यों – राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा केंन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जम्मु एवं कश्मीर तथा लददाख की लोक कलाओं पर कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति अथवा समूह को दिया जा सकता है । उनका योगदान/कार्य सदस्य राज्यो एवं केन्द्र शासित प्रदेश की लोक कलाओं पर आधारित होना चाहिये।

3— व्यक्ति की दशा में उसे भारतीय नागरिक होना चाहिये एवं समूह की दशा में संस्था का रजिस्ट्रेशन अथवा निगमन भारत में होना चाहिये।

4— **पुरस्कार की संख्या –** लोक कलाओं पर कार्य करने वाले कलाकारों अथवा लेखकों को दिये जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या 2 (दो) होगी जो प्रतिवर्ष दिये जायेंगें ।

4(क) एक पुरस्कार लोक संगीत के लिये होगा जिसके अन्तर्गत लोक गायन अथवा लोक वादन के लिये अपना जीवन समर्पित करने वाले साधकों को सम्मानित किया जा सकेगा, इसमें लोक वाद्यों को परम्परागत रूप से बनाने में अद्वित्तीय योगदान करने वालो को अथवा किसी के अदभुत और अविश्वसनीय संग्रहण को भी सम्मानित किया जा सकेगा ।

4(ख) दूसरा पुरस्कार लोक नृत्य के क्षेत्र में अपना जीवन समर्पित करने वाले कलाकारों को दिया जा सकेगा ।

4(ग) उपर्युक्त दोनों ही पुरस्कार उन साधकों को भी दिया जा सकते हैं जो कि स्वयं कलाकार नहीं हैं परंतु उन्होंने अपना जीवन लोक कलाओ पर अथवा उनके अनुसंधान पर समर्पित कर दिया हो ।

4(घ) चूंकि यह पुरस्कार लाइफटाइम अचीवमेंन्ट अवार्ड है अतः साधक का मूल पेशा अथवा कार्य लोक कला के प्रति आजीवन समर्पित रहने का होना चाहिये, आकस्मिक किये गये कार्य अथवा अन्य कोई आकस्मिक उपलब्धि इस पुरस्कार के लिये योग्यता नहीं बन सकती ।

5– **<u>पुरस्कार राशि –</u>** प्रत्येक पुरस्कार की राशि रू. 5,00,000/– (रूपये पॉच लाख मात्र) होगी। पुरस्कार प्राप्तकर्त्ता को रू. 5,00,000/– (रूपये पॉच लाख मात्र) की पुरस्कार राशि का चेक एवं रजत पट्टिका समारोह पूर्वक प्रदत्त किये जायेंगें।

5(क) यदि एक पुरस्कार हेतु एक से अधिक व्यक्ति का चयन किया जाता है तो यह राशि उन सभी को समान रूप से बॉटी जायेगी।

5(ख) यह पुरस्कार की राशि उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंन्द्र के अध्यक्ष और पंजाब के महामहिम राज्यपाल के द्वारा उनके कोष से दी जायेगी ।

5(ग) समारोह में आने–जाने एवं प्रवास (प्रत्येक पुरस्कार विजेता हेतु अधिकतम दो व्यक्ति) का व्यय उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा वहन किया जायेगा।

5(घ) यदि पुरस्कार / सम्मान की राशि पर किसी प्रकार का आयकर देय होगा तो उसका नियमानुसार टीडीएस काटा जा सकेगा ।

6– **पुरस्कार हेतु आयु** – पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति की उम्र, आवेदन करने की अंतिम तिथी को 50 वर्ष से अधिक होनी चाहिये। बहुत ही विशिष्ठ मामलों में समिति द्वारा कारण सहित छुट दी जा सकती है।

7– **पिछले दस वर्षो में सक्रिय** – पुरस्कार उसी व्यक्ति हो दिया जा सकेगा जो कम से कम पिछले दस वर्षो में लोक कलाओं के संरक्षण एवं उन्नयन में प्रमुखता से सक्रिय रहा हो तथा अपना जीवन लोक कलाओं हेतु समर्पित कर दिया हो।

8– **पुरस्कार समिति** – पुरस्कार हेतु चयन का कार्य इस आशय हेतु गठित पुरस्कार समिति द्वारा किया जायेगा। समिति का गठन अध्यक्ष, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंन्द्र एवं माननीय राज्यपाल, पंजाब द्वारा किया जायेगा। जिसमें केन्द्र के सदस्य राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेश के तीन लोक कला मर्मज्ञ सम्मलित होगें ।

8(क) समिति में पॉच सदस्य होगें तथा इसके अध्यक्ष पंजाब राज्यपाल महोदय के सचिव/ प्रमुख सचिव होंगे तथा सदस्य सचिव निदेशक, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंन्द्र होंगें ।

8(ख) समस्त निर्णय बहुमत से लिये जा सकेंगें ।

9– **पुरस्कार हेतु आवेदन** – पुरस्कार हेतु आवेदन समाचार पत्रों के माध्यम से मंगवाये जायेगें तथा प्राप्त आवेदनों पर समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात सिफारिश की जायेगी।

9(क) समिति को पूर्ण अधिकार होगा कि वह प्राप्त आवेदनों के अतिरिक्त भी किसी भी नाम पर विचार कर सिफारिश कर सके परंतु उसके लिये कारणों को दर्ज करना होगा ।

9(ख) यदि किसी वर्ष पुरस्कार समिति को पुरस्कार हेतु कोई उपयुक्त साधक नहीं मिलता है तो आवश्यक नहीं कि उस वर्ष पुरस्कार दिया ही जाये ।

10– पुरस्कार हेतु आवेदन के विज्ञापन का प्रारूप सदस्य सचिव द्वारा तैयार किया जाकर, सचिव / प्रमुख सचिव राज्यपाल के कार्यालय भिजवाया जायेगा जो अनुमोदन की अवस्था में राज्यपाल सचिवालय द्वारा उत्तर क्षेत्र के राज्यों में विज्ञापित किया जायेगा साथ ही केंन्द्र की वेबसाइट तथा सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इसको शेयर किया जा सकेगा ताकि अधिक से अधिक साधकों तक इसकी जानकारी हो सके ।

11– **अन्तिम निर्णय** – समिति द्वारा चयनित नामों की सिफारिश माननीय राज्यपाल, पंजाब एवं अध्यक्ष, उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र को बंद लिफाफे में प्रेषित की जायेगी जिन्हें उस सिफारिश को स्वीकार करने, अस्वीकार करने अथवा पुर्नविचार करने हेतु समिति को वापस भिजवाने का पूर्ण अधिकार होगा। अध्यक्ष महोदय का निर्णय अंतिम होगा जिसको किसी भी न्यायिक कार्यवाही के माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

11– **पारदर्शिता एव गोपनीयता** – पुरस्कार के आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को पारदर्शी रखा जायेगा तथा चयन समिति की सिफारिश लिपिबद्ध की जायेंगीं परंतु पुरस्कार हेतु चयनित कला मर्मज्ञ के मान और सम्मान हेतु अंतिम घोषणा तक चयनित नाम को सभी पक्षों द्वारा गोपनीय रखा जायेगा।